समाहर्त्ता न्यायालय, पूर्णिया

आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

21.01.2020

आपूर्ति अपील वाद सं0-131/2019

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद **मो0 हसन ईमाम, पिता-मो0 जफर ईमाम, सा0-लालगंज, थाना-के0 हाट (मरंगा), जिला-पूर्णिया** द्वारा CWJC No.-2385/2019 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 के आलोक में दायर किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित आवेदन का अवलोकन किया एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका मुख्य रूप से कथन है कि ग्रामपंचायत-लालगंज में जनवितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति हेतु तीन रिक्ति थी। जिसके आलोक में अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिया गया था। अपीलार्थी का फोकानिया में प्राप्तांक **60%**, मौलवी में **74.91%** तथा कम्प्यूटर का ज्ञान है। तीन रिक्ति अंतर्गत एक सीट अनुसूचित जाति, एक सीट सामान्य एवं एक सीट अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का है। अनुसूचित जाति एवं अत्यन्त पिछड़े वर्ग के सीट पर सही रूप से बहाली की गई है, परन्तु तीसरा सीट जो अनारक्षित (सामान्य) सीट है, पर अजीत कुमार दास, जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से है और रोस्टर के आधार पर देखा जाय तो वरीयता अंक से पीछे है, उनका चयन कर लिया गया, जो विधिसम्मत नहीं है। चयनित अजीत कुमार दास अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से आते है, जबकि उनका चयन सामान्य सीट पर कर लिया गया। इस प्रकार नियम के विरूद्ध चयन किया गया है, जिसे निरस्त करते हुए अपीलार्थी का चयन करने की कृपा की जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक आवश्यक वस्तु अधिनियम, पूर्णिया द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा अनारक्षित पद के रिक्ति के विरूद्ध आवेदन दिया गया था। जिसके आलोक में अपीलार्थी से अधिक योग्यता वाले आवेदक का चयन अनारक्षित पद पर किया गया है।

इस वाद में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर से निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। अपीलार्थी के कथनानुसार अनुसूचित जाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की रिक्ति पर किए गए चयन पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनका आपत्ति अजीत कुमार दास के चयन को लेकर है, जिसके आलोक में निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से निम्नांकित तथ्य पाए जा रहे हैं :-

मेधा क्र0	आवेदक का नाम	आरक्षण कोटि	प्राप्तांक				अभ्युक्ति
			मैट्रिक / फोकानिया	इन्टर / मौलवी	स्नातक	कम्प्यूटर ज्ञान	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*
1	अजीत कुमार दास, पिता-श्रीकान्त	अनारक्षित (सामान्य)	53.44 %	60 %	55.88 %	DCA	अनारक्षित रिक्ति पर चयनित

	दास (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)						
2	मो0 हसन ईमाम, पिता-मो0 जफर ईमाम (सामान्य वर्ग)	अनारक्षित (सामान्य)	60 %	74.91 %	-	ADCA	चयन हेतु अस्वीकृत

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 से संबंधित बिहार गजट (असाधारण), 14 मार्च 2016 की कंडिका (v) में वर्णित है कि **"उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा, परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।"**

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी एवं चयनित आवेदक अजीत कुमार दास दोनो मैट्रिक पास हैं। अपीलार्थी का कम्प्यूटर ज्ञान चयनित आवेदक से अधिक है। कम्प्यूटर ज्ञान समान होने पर ही अधिक योग्य को प्राथमिकता दिया जाना है। परन्तु इस मामले में अपीलार्थी का कम्प्यूटर ज्ञान अधिक होने के बाद भी अधिक अन्य योग्यता के आधार पर अजीत कुमार दास का चयन किया गया, जो विभागीय निदेश के अनुरूप नहीं है।

अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि प्रखण्ड-पूर्णिया पूर्व के ग्रामपंचायत-लालगंज अंतर्गत अनारक्षित पद पर चयनित अजीत कुमार दास, पिता-श्रीकान्त दास, सा0-लालगंज के चयन को रद्द करने तथा अपीलार्थी को चयनित करने से संबंधित प्रस्ताव आसन्न जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में रखना सुनिश्चित करें। निम्न न्यायालय का अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को वापस करें।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

5/01/2020

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।